राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांकः प.2(2) सामान्य/न्याय/2025 जयपुर, दिनांक

1. समस्त अति.मुख्य सचिव/
   प्रमुख शासन सचिव/
   शासन सचिव

2. समस्त जिला कलक्टर एवं
   जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स।

विषयः– न्यायिक प्रकरणों के प्रभावी पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

निवेदन है कि लाईट्स पोर्टल पर दर्ज न्यायिक प्रकरणों के प्रभावी पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है :–

1. प्रशासनिक विभागों द्वारा न्यायिक प्रकरणों के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव के स्तर के अधिकारी को ही राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावे (न्याय विभाग का परिपत्र क्रमांक F.1(10)/Meeting/Justice/2013-Part/301 दिनांक 03.06.2015)। लाईट्स पोर्टल पर ऐसे अधिकारी का नाम एवं माबाईल नम्बर अद्यतन करते हुए सूची न्याय विभाग को भिजवायी जावे।
2. कुछ विभागों द्वारा न्याय विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैटक में औपचारिकता पूर्ण करते हुए अन्य कनिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाता है। निवेदन है कि उक्त बैठक में राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी पूर्ण तैयारी के साथ आवश्यक रुप से उपस्थित हों, ताकि प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Swami
Designation : Special Secretary To Government
Date: 2025.04.21 18:27:44 IST
Reason: Approved

3. प्रशासनिक विभागों के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी अपने अपने अधीनस्थ विभाग/ ईकाई के नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक प्रत्येक माह के अंतिम बुधवार को आयोजित कर उसका कार्यवाही विवरण न्याय विभाग को ई–मेल के माध्यम से भिजवायें (संलग्न अ.शा.टीप पं. 1(10) बैठक/न्याय/2013 पार्ट दिनांक 18.07.2016)।
4. जिला स्तर पर माह के अंतिम सोमवार (राजकीय अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस) को जिला कलक्टर या जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत अधिकारी जो अतिरिक्त जिला कलक्टर के स्तर से कम न हो द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की जाकर उसका कार्यवाही विवरण आवश्यक रूप से न्याय विभाग को प्रेषित किया जाये। (संलग्न अ.शा.पत्र क्रमांक पं. 1(10) बैठक/न्याय/2013 दिनांक 03.05. 2016)। जिला स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तर के नोडल अधिकारी आवश्यक रुप से उपस्थित हो, ताकि प्रभावी मॉनिटरिंग हो सके। इसके लिए संबंधित को निर्देशित किया जावे।
5. लाईट्स पोर्टल पर प्रभारी अधिकारी से सम्बन्धित सूचना यथा Employee ID, Email ID & Mobile No. का समय पर इन्द्राज/अद्यतन किया जावे।
6. न्यायिक प्रकरणों से संबंधित सूचनाएं संबंधित अधिकारियों को एस.एम.एस./ईः मेल के माध्यम से पाक्षिक आधार पर प्रेषित की जाती है। विभाग के पत्र पं. 2(2)सामान्य/न्याय/2019 दिनांक 22.08.2019 (**प्रति संलग्न**) में उल्लेखित अधिकारियों की सूचना अनिवार्य रूप से अद्यतन की जावे।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Swami
Designation : Special Secretary To Government
Date: 2025.04.21 18:27:44 IST
Reason: Approved

शासन विशिष्ट सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Swami
Designation : Special Secretary To Government
Date: 2025.04.21 18:27:44 IST
Reason: Approved